पत्रांक–5/यो०/जलापूर्ति (लोहरदग्गा)/04/2017/न०वि०आ० 251

TSP

झारखंड सरकार

नगर विकास एवं विकास विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक :

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, रांची।

द्वारा:– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

रांची, दिनांक– 08/02/18

विषयः–लोहरदग्गा नगर परिषद के वार्ड नं०–5 एवं 6 में इनटेकवेल (Intake Well) के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृत राशि 1,91,87,000/–रु० (एक करोड़ इक्यान्वे लाख सत्तासी हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए लोहरदग्गा नगर परिषद को वित्तीय वर्ष 2017–18 में 50,00,000/–रु० (पचास लाख रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोहरदग्गा नगर परिषद के वार्ड नं०–5 एवं 6 में इनटेकवेल (Intake Well) के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृत राशि 1,91,87,000/–रु० (एक करोड़ इक्यान्वे लाख सत्तासी हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए लोहरदग्गा नगर परिषद को वित्तीय वर्ष 2017–18 में 50,00,000/–रु० (पचास लाख रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. परामर्शी शेल्टर, कोलकाता द्वारा वार्ड नं०–5 एवं 6 इनटेकवेल (Intake Well) के निर्माण हेतु तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), प्राक्कलित राशि क्रमशः रु० 94,43,000/– तथा रु० 97,44,000/– कुल रु० 1,91,87,000/– पर मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. उक्त स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग संख्या–48 के अधीन मुख्यशीर्ष–2215–जलापूर्ति तथा सफाई–उप मुख्यशीर्ष–01–जलापूर्ति–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–01– पेयजलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)–विपत्र कोड–48S221501796010679 से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदग्गा नगर परिषद होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में लोहरदग्गा कोषागार किया जाएगा।

5. कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदग्गा नगर परिषद को निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि की निकासी के सात (07) दिनों के अंदर खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपना कर योजना का कार्यान्वयन तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त DPR के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में DPR में उल्लेखित प्रावधानों से योजना कार्यान्वयन में विचलन नहीं किया जायेगा।

6. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष 2015–16 में लोहरदग्गा नगर परिषद को उक्त योजना में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। अतः उपयोगिता प्रमाण–पत्र शून्य है।

Rakesh/rajesh/charge W.S

7. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

8. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

10. लोहरदग्गा नगर परिषद को यह निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधित धाराओं के अन्तर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरान्त ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे।

11. उपायुक्त, लोहरदग्गा/कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदग्गा नगर परिषद द्वारा समय–समय पर योजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए योजना कार्यान्वयन की गुणवत्ता/प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा प्रत्येक 15 दिनों पर विभाग को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इसे संबंधित पुस्तको एवं पंजियों की जाँच–पड़ताल एवं अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अरुण कुमार सिंह) 6.2.18
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/यो०/जलापूर्ति (लोहरदग्गा)/04/2017/न०वि०आ० 251 राँची, दिनांक 08/02/18

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/निदेशक/सूडा एवं नगरीय प्रशासन निदेशालय/प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमडल, राँची/उपायुक्त, लोहरदग्गा/कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदग्गा नगर परिषद/कोषागार पदाधिकारी, लोहरदग्गा/ बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को स्वीकृत्यादेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.18
सरकार के प्रधान सचिव।

Rakesh/rajsh charge/W.S